


## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक.....A/2383 /  
दो-3-420/80-भाग बारह

जबलपुर, दिनांक..11/05/2023

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल  
के पत्र दिनांक 26.04.2023 के संलग्न प्राप्त अखिल भारतीय सेवार्ये(अवकाश)नियम,  
1955 के नियम 20 ए अर्धवैतनिक अवकाश का गणना-पत्रक आर नं.  
2327/2018/नियम/चार की प्रतिलिपि :-

- (1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
राज्य के समस्त.....(म.प्र.)
- (2) प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुंब न्यायालय,  
राज्य के समस्त.....(म.प्र.)

  
(यू.एस.दुबे) 11/5/2023  
ओ.एस.डी.

1345

आजादी का  
अमृत महोत्सव



मध्यप्रदेश शासन,  
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3487 / 21-ब(एक) / 2023

भोपाल, दिनांक 26 / 04 / 2023

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,  
उच्च न्यायालय,  
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषय :- सेवारत/सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अवकाश नगदीकरण के संबंध में।

संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक ए/3057/दो-3-420/80/(Pt.XII) जबलपुर, दिनांक 04/09/2021

उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में म.प्र.शासन, वित्त विभाग के वांछित पृष्ठांकन क्रमांक 1758/327/2018 दिनांक 12/09/2018 की चाही गई प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर, इस अपेक्षा से प्रेषित है कि आप उक्त पृष्ठांकन की मूल भावना अनुसार सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण के अर्जित अवकाश के नगदीकरण अधिकतम सीमा 300 दिवस करने में उपयोग करेंगे।

उपरोक्त संबंध में किसी भी प्रकार का संशय होने पर इसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अविलम्ब इस विभाग को लिखे जाने का अनुरोध है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(बी.क.द्विवेदी)  
प्रमुख सचिव 23

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

Registrar General  
High Court of M.P.  
Jabalpur  
01 MAY 2023

नियमित पत्र फाईल

विषय :

आर. नं. 2327/2018/नियम/चार

का विभाग

मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा क्रमांक बी-3013-अखिल भारतीय सेवा के समान सुविधाओं जैसे अवकाश नगदीकरण 240 के स्थान पर 300 दिवस करने बाबत ।

विभागीय प्रस्ताव के संबंध में लेख है कि :-

राज्य के नियमों में अर्धवैतनिक अवकाश को अर्जित अवकाश के नगदीकरण के लिए विचार में लिए जाने का प्रावधान नहीं है । अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम 1955 के नियम-20 ए में अर्धवैतनिक अवकाश की गणना का निम्नांकित प्रावधान है :-

अर्धवैतनिक अवकाश के एवज में नकद भुगतान =  $\frac{\text{सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन} \times \text{अनुज्ञेय+मंहमाई भत्ता}}{30}$  खतों में जमा अर्धवैतनिक अवकाश के दिनों की संख्या तथा अवकाश खाते के अर्जित अवकाश एवं अर्धवैतनिक अवकाश जो कि 300 दिनों से अधिक न हो ।

2/ उपर्युक्त गणना सूत्र के अनुसार यदि किसी आवेदक की सेवानिवृत्ति के समय 250 दिवस के अर्जित अवकाश तथा 300 दिवस के अर्धवेतन अवकाश की पात्रता है तब 250 दिवस के अर्जित अवकाश तथा 50 दिवस (300 दिन-250 दिन) के अर्धवेतन अवकाश के आधार पर गणना की जाएगी ।

(प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित) ।

*(राजेश कुमार बाजपेयी)*

(राजेश कुमार बाजपेयी  
अवर सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

*(11 11)*

4346/2181  
14.9.18

आयुक्त वित्त  
दिनांक 17.5.18/23.27/18

26092  
24.5/21.2.18